शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ. 53(04)/ अता प्र.सं. 68/तृतीय सत्र (बजट सत्र–2022)/दिविस/श.वि./2028-30 दिनांकः 24.03.2022

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) अतारांकित प्र. स. 68 मान्नीय विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट , दिनांक 28.003.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

दिनांक : 28.03.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 68

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	करावल नगर के अंतर्गत कुल कितनी कालोनियां हैं तथा ये कालोनियां कब बसाई गईं; इनका विवरण बताएं;	अनाधिकृत कॉलोनी, शहरी विकास विभाग के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के उपलब्ध अभिलेख के अनुसार करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत 28 अनाधिकृत कॉलोनियां है। इन कॉलोनियों के बसाये जाने से संबंधित विवरण अनाधिकृत शाखा में उपलब्ध नहीं है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि शहरी विकास विभाग द्वारा आज तक इस कार्य के लिए बजट की स्वीकृति नहीं दी गई;	अनाधिकृत कॉलोनी, शहरी विकास विभाग के अनुसार शहरी विकास विभाग ने पिछले वित्तिय वर्ष 2020–21 में कार्यकारी संस्था DSIIDC को 289.19 करोड़ रुपए दिए और वर्तमान वित्तिय वर्ष 2021–22 में 416 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। DSIIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक DSIIDC को करावल नगर के लिए लगभग रुपये 159 करोड़ रूपए दिये जा चुके है जो कि सड़क एवं नालियों के निर्माण में प्रयोग किए जा चुके है ।
ग	क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर की अधिकतर कालोनियों के एस्टीमेट, विभाग के पास लंबित है;	अनाधिकृत कॉलोनी, शहरी विकास विभाग के अनुसार शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार, कार्यकारी संस्था (DSIIDC और I&fC) को विकास कार्य के लिए कॉलोनीवार निधि नहीं देता है। परन्तु वर्तमान वित्तिय वर्ष 2021–22 में DSIIDC को रुपये 416 करोड़ की स्वीकृति दी गई है ।
घ	यदि हाँ, तो इन कालोनियों के लिए बजट की स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;	उपरोक्त 'ग' के अनुसार
ड	क्या यह भी सत्य है कि डीएसआईडीसी, दिल्ली सरकार के एस्टीमेट शहरी विकास विभाग के पास आज तक बजट न देने के कारण लंबित पड़े हैं और सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रण विभाग को 600 करोड़ रुपये का बजट देने के बाद भी करावल नगर में विकास के काम न होने के क्या कारण हैं; और	उपरोक्त 'ग' के अनुसार
च	डीएसआईडीसी विभाग को बजट न देने के क्या कारण हैं?	उपरोक्त 'ख' के अनुसार

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02